

कायालय भूग्रं अपाप्ता अधिकारी, नगर पिकास परियोजनाएँ, नवपुर

जगामुर विकास प्राधिकरण भवन।

कृतांकः श्री ग्र. लक्ष्मि / १६/

दिनांकः १५।।

पिंडा:- जगद्गुरुकृष्णास्त्र ग्राधिकारण को नामने, करत्यादेव जिपल
ए पिण्डास लाल्हुग के क्रियान्वयन हेतु ग्राम नम्ब-
किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तं साँगानेर में भूमि
आपिता धृपटपीराज नगर योजना।

प्रकाश नम्र: ५६९/८८, ५७।/०८

- :- अ पा ई :-

उपरोक्त विज्ञानतार्गत भूमि अवाद्या हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास स्थं आवासल विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाद्या अधिनियम 1894 ॥1984 का केन्द्रीय अधिनियम संहिता ॥की धारा 4॥के तहत क्रमसंक य६॥ १५॥ नविआ/ट्ट/८७ दिनांक ६.१.८० जिसका गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक ७.७.८० को हुआ ।

भूमि अपारिवर्तनीक भूमि के लिये आवश्यक संस्थाएँ और उनके लिये आवश्यक संस्थाएँ जो इसके लिये आवश्यक हैं। यह अपारिवर्तनीक भूमि के लिये आवश्यक संस्थाएँ और उनके लिये आवश्यक संस्थाएँ जो इसके लिये आवश्यक हैं।

राज्य सरकार के नगरीय पिलास संघ आयातन पिभाग द्वारा जो धारा 6 का गद्द प्रकाश्म कराया गया उसमें ग्राम नन्दिकेश्वरपुरा हर्फ मान्यायात्र तंत्रीव राज्यालय में अपाप्ताधीन भूमि की स्थिति विस्तृ प्रकार बताई गई है:-

मुनि छतरा नम्बर रघुवा नाम छातेश्वर
बीः पः

1° 2° 3° 4°

567/38 (20) 03-10 कन्देया लाल, भौरीलाल पीपूलपत्र
जाति मार्गी धा.गोपालपुरा

571/88 29 १०-१२ कन्हेयालाल, भौरीलाल पि. चोट्ठाल
जाति माली सा. गोपालपुरा

छारा नम्बर 28 एवं 29 की आदेशारी धारा 6 के गणठ नोटिसिं
केत्र के अनुसार कन्दैयालाल, भोरीगाल पि. योग्यात जारी राष्ट्रीयोपलब्ध
की जारीहारी के लिए है। केन्द्रीय भूमि अधिकारी अधिकृतों के तहत भारा
9 एवं 10 के नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस दिनांक 25.1.90, राष्ट्रीय
लैनिनदा दारा एवं दिनांक 7.3.91 को रजिस्टर्ड [ए.डी. नोटिस नोटिस]।
लेकिन छारा नम्बर 29 का जारी किया गया इसी प्राविधि छारा नम्बर 28 का
धारा 9 एवं 10 का नोटिस दिनांक 9.11.90 को लागील लैनिनदा दारा
एवं दिनांक 23.4.91 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारीकीये गये। ऐसीका कोई
क्षेत्र पेश पढ़ी किया गया। दिनांक 14.6.91 छारा नम्बर 28 एवं 29 की भूमि अधिकारी
के विचार न्यायालय दारा लिये गये स्थान आदेश की पोटो प्रति पेश की गई।
जग्गुर विकार प्राप्तिकरण दारा गा.उच्च न्यायालय जग्गुर में अधीत करनेपर
दिनांक 22.4.96 को न्यायालय दारा निर्णय जियपुर/राज्य सरकार के पाल
दिया गया जिसके अनुसारण में न्याय देवत में लानेद्वारके को लैब भेज करने हेतु
नोटिस जारी किये गये। एवं तीन दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों में भी नोटिस
का प्रकाशन दिनांक 13.6.96 को राजसान पत्रिका, दैनिक नवजयोति एवं
राष्ट्रदूत में लिखा गया।

आदेशार कन्दैयालाल, भोरीगाल की तरफ से दितधारी श्री अमोंक
अग्नात दारा दिनांक 18.6.96 को एक क्षेत्र प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
इन्होंने आण्हित एवं कोण अष्टदर प्रोटोटर पेश किया तभा निम्न लिखा दस्ता-
पेजात की प्रतियां पेश की गई।-

1. छानेदारी का प्रमाण स्वत्व राजस्व रेकार्ड पर्यां छानेनी तहानिलदार सांगानेर
दारा जारी की गई।
2. पृष्ठपीराज नगर योजना सीमा की अधिकृता दिनांक 21 फरवरी, 1993 जो
कि राजसान राजपत्र में दिनांक 21 मई, 1993 को प्रकाशित किया गया है।
3. जग्गुर विकार प्राप्तिकरण दारा अमोंदेवत होने का पत्र क्रमांक बीपीसी-11
93/डी/2004 दिनांक 6.11.93
4. जग्गुर विकार प्राप्तिकरण दारा भतीरकत जिलापीडीपांडीष्ट भूमि
स्थान्तरण जग्गुर को स्थान्तरण की कार्याद्वी करने हेतु अधिकारी पत्र क्रमांक
जियपुर/भ.गा.शा./डितीय/74/डी-116 दिनांक 18.2.94
5. अमोंदेवत गानीचन
6. स्थान्तरण रांगना 53, 837/-लाये दिनांक 16.6.95 रेटट बैंक आप-
दीजनेर एड जग्गुर तिलक गार्ग, जग्गुर का चालान

7. गान्धीय नियन्यात्य, दिल्ली का निर्णय श्री अवतार सिंह बनाम यूनियन
आफ इंडिया पर्सन फिल्म्स 23-3-72

8. अवतार दर के प्रबोध व्याख्यात्य वत्र 9, आई-२

विनेंगे नियमित विसर्जन किया गया है। उससे दारा पेश किए गए
वोग पर वर जब नहीं कुरुक्ष दारा, कोई लिंग उत्कर्ष पेश
नहीं किया गया। प्राचीन ने अवगत बरामद कि जयपुर का विकास प्राधिकरण जो
पूर्त उद्देश्य भी इस योजना में आवासीय, पूर्ण लौजित पर तभी कोई आवासीय-
हीन ल्यक्ष्यर्थों को आवास उपलब्ध बनाना है एवं इसला भी उद्देश्य देखा जाए।
इस संबंध में राज्य दरकार ने भी प्राधिकरण विकास स्थानाभासीय कामों
क्रांक पर्सन नियमितकरण योग्य भूमियों को नियमित करने, मूलाङ्कनार्थीयों को दृष्टिक
द्वारा एवं समायोजन तरों अकाइया से मुक्त करने एवं भविष्य में अधिकारण न करने के
तिरे निर्देश जारी किये हैं। वहाँ पहुँच भी अवगत कराया कि जयपुर विकास प्राधिक-
करण तथा गान्धीन भाजा वित्तीय की बैठक में सामुद्रिक आवासन को आवासीय
स्वीकृति/अनुमोदन किया गया है जिसमें प्राधिकरण ने उक्त मूमि के क्षेत्र भाग जो
पूर्वी बाईपाल गों आने के कारण स्थीकृत नहीं किया है तथा जो भाग पूर्वी बाई-
पाल के लाने के कारण स्थीकृत नहीं के पूर्व में स्थापित है वानि कि बृद्धीराज नगर
योजना दो बाहर है जो राजीकृत दी गई है। और निर्णय लिया गया है कि इस
पुलार की योजना को प्राधिकरण प्रोत्तावित करना चाहिए। छसरा नम्बर 28 का
अधिकांश भाग प्रस्तावित 270 ग्रूप बाईपाल में आता है।

प्राचीन ने दिल्ली नियन्यात्य श्री अवतार तीर्ती बनाम यूनियन
आफ इंडिया संघ अन्य को प्रति प्रस्तुत की है जिसमें वह रिहान्त प्रतिपादित
किया है कि जितों तिरे अवासीय को काव्यादी की जा रही है तार उत्ती विभाग/
तंस्त्रग के द्वारा भूमि पर ज्ञापिता/स्वीकृत जारी करदी जाती है तो ज्ञान स्वतः
दी अवासीया से त्रुक्त हो जाती है यह प्राकृतिक नियम सर्व स्वाभाविक रिहान्त
भी है। प्राचीन ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अवासीय की कार्यपाल
काव्याद विकास प्राधिकरण के लिए की बा रही है तथा सर्व जयपुर विकास प्राधिकरण
ने प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर योजना तोमा से अधिकांश भूमि को बाहर बतारा है
तथा सामुद्रिक आवासन की राजीकृत प्रदत्त की जा रुकी है। दायेहार ने यह भी
प्राधिकरण ने आवासीय प्रयोजनाधि स्थोकृत किया है कि ऐसे अवासीय ली कार्यपाली
पलाने वा कोई ज्ञानित्य नहीं रह जाता है, ज्योंकि यह भूमि प्रस्तावित पृथ्वीराज
नगर योजना के गूम में लिया है अर्थात् अवासीय योजना से बाहर स्थित है तथा

योजना की स्पेक्ट्रित प्राधिकरण की बेठक ने पत्र क्रमांक बी-पी-सी-ए/७३/डी-२००४ दिनांक ८.११.९३ द्वारा पूर्ण में आवासीय प्रयोजनार्थी जारी की गई है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त जिताधीशांदीक्षणी कृषि भूमि रुपान्तरण, जयपुर को स्वान्तरण की कार्यपादी हेतु अधिकारी पत्र क्रमांक जीवा/भा-माशा/नितीय/९४/डी-११६ दिनांक १८.२.१५ जारी किया गया है जिसकी प्रति प्रार्थी जो भी दो गड़े हैं जिसका रुपान्तरण मुक्त/दिनांक १२.१२.१३ जो ५५,०००/- प्राधिकृत अधिकारी मटोदूँग की मुँह दिनांक १५.६.९६ पर, १६.६.९५ को ५३,८३७/-स्थेय सस-बी-बी-जे-तिलक मार्ग, जयपुर में घालान द्वारा जमा कराया गया है तथा दिनांक १८.२.१५ को गानेश अनुमोदित किया गया है जिसमें छात्रा नम्बर भी शामिल है जिसकीपूछिट प्राधिकरण ने जी है। राज्य सरकार ने भी समझ-सम्पर्क पर अनुमोदित होने योग्य भूमि का कल्पा नहीं है क्योंकि निर्देश प्रदान किये हैं। अतः छात्रा नम्बर २९ रक्षा १० बीघा १९ विस्तारपार्चित कार्यपादी से समाप्त की जाये।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जीवा/भा-मा-शा/नितीय/९४/डी-११६ दिनांक १८.२.१५ के पत्र में अनुमोदित के अनुसार छात्रा नम्बर २८, २९ रक्षा २८५८५ वर्ग गजके तो आठट घालान के अनुसार भूमि अधिकृत अधिनियम की धारा ५॥१॥की प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत पूर्व में घोषित अवाडेनामार दरौंभूमि अपार्टमेंट मूल्य ॥ की दर से प्राधिकरण द्वारा स्पेक्ट्रित भूमि अधिनियम की धारा ३॥३॥के अन्तर्गत छठी राज्य सरकार अवाड अनुमोदित करें तो आवंटित किया जाना उपित होगा।

लो क्लो ऐज्ज लिखा गया तह नियमानुसार है:-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि के समीप वातिलि भूमि अवासीय प्रयोजनार्थी का से कम १०२५/-स्थ प्रति वर्ग गज की दर से भूमि का आवंटन करने की दर बताई है तांडा यड बताया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमानुसार उक्त भूमि के आस-पास की भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु काम लेने पर २५/-प्रति वर्ग गज विकास भूमि लेना तथ किया गया है इसके साथ ही कुल भूमि का ६०प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है।

इस प्रकार प्रति वीघा ८०००/-प्रति वीघा ८०प्रतिशत भाग काम में लेने पर १०१५ वर्ग गज भूमि दर १००/-प्रति वर्गज की मांग की है।

इसके अतिरिक्त भूमि पर रुस्ता नियमित का बाजार मूल्य, योजना में पानी की पार्श्व ताईन अंडरग्राउण्ड, योजना में छोड़ियों की कीमत, घूमटी, डोगे, बड़े पेड़, छोटेपेड़, विकासकरण एवं फिट्टर, व्यय, बाड़ा, घोषितया, इरे भी कीमत गये पर्य सेट व गोटर, क्ले में पार्श्व लार्वन व फिट्टर, नह पतल का छाद व मेहन औजदूरी, पुले आदि की कीमत का प्रस्ताव विवरण प्रस्ताव कर अंडर प्रोटेस्ट मुआवजे की मांग की है एवं भूमि अपार्चित अधिनियमानुसार निम्न

राशि की ओर मांग की है।-

१. नियमानुसार 12 प्रतिशत तक अपाई के पश्चात धारा 34 के अनुसार 9 प्रतिशत अधिकर से एक गण तक तथा एक गई पश्चात 15 प्रतिशत तक नुकसान की विधितक की नूग की है।
२. अवासिया से रहे नुकसान के पेटे कुल मुआवजा राशि के 10 प्रतिशत और अतिरिक्त राशि की मांग की है। गान्धीनिक तकाल के छठे छठे की कुल मुआवजा राशि का 102 प्रतिशत दातेदारी के अन्य संघर्षों पर परिवर्तन के कारण आय में ज्यों ला प्रतिलिपि 1000/- प्रति संघर्षी दितापाने की मांग की है।
३. पोटेन्शियल पेल्यू छोने के कारण कुल मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त एवं धारा 5 के अन्तर्गत छोतेदारान को इस नुकसान की 10 प्रतिशत की मांग की है। स्थाई एवं अस्थाई संपत्ति के नुकसान के पलस्वला छोने पाते नुकसान की 10 प्रतिशत की मांग की है।
४. धारा 6 की विहारी पिनांक 28 जुलाई, ०७ एवं कब्जा प्राप्त करने के अन्तरात में धूमि रे प्राप्त छोने पाते ताख जदोतारी राशि 5 गुणा दो गई है अतः कुल मुआवजा राशि की 5 गुणी कीमत य 24 प्रतिशत ब्याज की मांग की है।
५. राष्ट्रवत्त परिवार प्रणाली में विघ्नन से दोने पाले नुकसान की पूर्ति द्वारा 5 प्रतिशत नच्चों को अन्यत्र स्थापित छोने से दोने पाली पदाई के नुकसान द्वारा 5 प्रतिशत, गोशीदों रे दोने पाले नुकसान ली 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशीनिक य अन्यथा साठांगे निरायट से दोने पाले नुकसान की 10 प्रतिशत नई जगह पर स्थापित छोने पर स्थाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण नुकसान की दोने पर 10 प्रतिशत, अन्यत्र स्थान पर धूमि छहीदोने पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन य विधिय द्वारा कुल मुआवजा राशि का 15 प्रतिशत की मांग की है।

उपरोक्त के सबूत में अर्ड, विहारी पत्र घंजीकृत एवं इकरासनामे की पूर्ति भी सत्य प्रतिरिप्ति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त क्रेम जो जितपुर अधिकारिय के मनमाने तोर पर पेश किया जाया जो गान्धी नहीं है। हम जितपुर अधिकारिय के क्रम से उल्लिखित हैं।

मुआवजा निर्धारण

जहाँ तक पश्चीमी राज नार योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास सर्व अवासन विभाग के आदेश क्रमांक प६॥१५॥नियम/१७ दिनांक १०.१०.७ द्वारा मुआवजा राशि निर्धारण करने के लिए राज्य

परजार धारा पर कोटी का गठन शासन सिप्पा, राजस्व विभाग की अधिकता में किया गया था। लैकिन उक्त कोटी धारा प्रधानीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से विसी भी ग्राम के मुआवजा राशि का निधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-71 द्वारा शासन तथिव, नारीस विकास एवं शासन विभाग द्वारा जयपुर प्राधिकरण ग्रामुक्त एवं राज्य, जपिप्रा को भी निषेद्ध किया गया था कि राज्य संरक्षक द्वारा गठित कोटी से मुआवजा निधारण करने की प्रीत्या किंवद्दलो चाहे। इसके उपरान्त राज्य-ताय पर आयोजित नोटिफिस भी मुआवजा निधारण के लिए निषेद्ध किया लैकिन उक्त कोटीद्वारा कोई मुआवजा निधारण नहीं तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण प्रधानीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थान भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेजों निषेद्ध नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के गानविधि उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य-तमय पर जो निर्णय कुषिष भूमि के मुआवजे निधारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं तभीमें कुषिष भूमि के मुआवजे के निधारण का तरीका धारा-4 के गलट नोटिफिकेशन के समय रोजस्ट्रीयों द्वारा उस देन में पंजीयन दर के अनुसार निधारण मक्का गया है। पृष्ठीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1988 में हआ दर्शाते विभिन्न गानविधि उच्च न्यायालयों के निषास के परिपेक्ष में 7जुलाई, 1988 ऐस्ट्रेशन को विभिन्न उपर्याखकों के द्वारा प्रधानीराज नगर योजना के भेत्र में भूमियों के रोजस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अंतिरिक्त और कोई विवरण नहीं रहता है।

इस श्वार्ड में जो वेतन की प्रमाण की है वह बहुत अधिक है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा द्वारा देश के गानवास की भूमि का मुआवजा 24,000/- प्रति बीघा की दर से निधारित किया गया है। अतः उक्त मामलों में भी 24,000/- प्रति बीघा की दर से मुआवजा निधारित किया जाना उपित हो

विभिन्न भेष्यरक्ष जीस्टडी के स्थानों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्रधानीराज जिसके तह मूलि अवासित की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के तीचटने पत्र क्रमांक टीडीआर/91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के द्वारा 10,200/- प्रति बीघा की दर से पंजीयन हआ था इसलिए जहाँ तक उनके पास का सम्बन्ध है वह दर नियत है।

दूसरे इस संबंध में उप पंजीयक सर्वं तहसीलदार सांगानेर के घटां से भी अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जपिप्रा प्रधा

ने आने थे, औ नोट फिल्म ४०५०२। दारा उपं पंजीयक के तहाँ भी धारा ५ के गण नोटिटिवेश के समय जानी ली विक्रय कर दी गयी गताई है।

तेजिन इस न्यायालय दारा पूर्ण में दरी के ग्राम-पास की भूमि की मुआवजा राशि २४,०००/- प्रति बीघा की दर से अपाई जाती। किये हैं जिनका अनुगोदन राज्य सरकार ऐप्रिल प्रति बीघा २० प्रति बीघा की भूमि की में उत्तर नहीं देकर गोलिक रूप से वह निपटन किया है कि मुआवजा राशि २४,०००/- प्रति बीघा की दर से तथा की जाती है त्रैनियपुर को कोई आपत्ति नहीं होगी। व्यापेकि कुछ समय पूर्ण इसी न्यायालय दारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में २४,०००/- प्रति बीघा की दर से अपाई पारित किये गये हैं जिनका अनुगोदन राज्य सरकार दारा भी किया जा पुका है।

अतः इस मामले में भी इस भूमि की मुआवजा राशि २४,०००/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा ५ के गण नोटिटिवेश के समय भूमि की कीमत घटी थी।

द्वारा नम्बर २२ के पारे में जयपुर विकास ग्रामीण दारा कुए एवं छोड़ का पेत्यूतेश इस कार्यालय को प्रेषित किया गया जो ६५३९/- है जो नियमानुसार देय है।

इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो २४,०००/- प्रति बीघा की दर से तय करते हैं तेजिन मुआवजे का बुआतान् विधिक रूप से गान्धिकाना छक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे राशि के साथ नियमानुसार १२५० अंतिरिक्ष प्रभार एवं ३० प्रतिशत तोलेशियम नियमानुसार देय होगी।

अंतिरिक्ष निकेशमुपथा। एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं मूल्यन कर वीयाग ने आने पत्र क्रमांक २१० फिल्म ३१-५-२। दारा इत कार्यालय को शुरू किया है कि पूर्वीराज नगर योजना के समस्त २२ ग्राम जयपुर नगर संकुलन रीमा में सम्मिलित है एवं अन्तर अधिनियम से प्रभावित है। तेजिन उन्होंने ऐसूक्त नहीं दी है कि अन्तर अधिनियम १९७६ की धारा १०१-३ की अधिसूचा प्रकारित करना दी अमा नहीं। ऐसी उस्तुति में अपाई केन्द्रीय भूमि अपाई अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अपाई आज फिल्म १५०९६ छो राज्य सरकार को अनुगोदनार्थी प्रेषित किया जाता है।

तंत्रज्ञ-

भवदीय,

१५७.१८
॥ भूमि-वीयापाई, अधिनियम ॥
दायुर